कार्यालय आयुक्त, मोती डूंगरी जोन, नगर निगम जयपुर

घाटगेट, सोफिया स्कूल के सामने

क्रमांक :– F54/( )/Comm./M.D.Z./2014/ दिनांक

नीलामी सूचना

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए मोती डूंगरी जोन नगर निगम जयपुर के निम्न पार्किंग स्थलों की ठेका नीलामी दिनांक 21/5/2014 को प्रातः 11:30 बजे से मुख्यालय लाल कोठी निलामी हॉल जयपुर में की जावेगी ।

क्र.सं.	नाम पार्किंग स्थल	पार्किंग होने वाले वाहन	पार्किंग की अवधि
1.	जे.एल.एन मार्ग, रामनिवास बाग के बाहर दोनो तरफ।	कार, जीप, स्कूटर	1 जून 2014 से 31 मार्च 2015 तक

इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक पार्किंग स्थल हेतु 25000/– अमानता राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है। अमानता राशि प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जमा कराई जाकर, 2:00 बजे से बोली प्रारम्भ कर दी जावेगी। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद मौके पर जमा करानी होगी। नीलामी शर्ते किसी भी कार्य दिवस को जोन कार्यालय में देखी जा सकती है। निलामी बोली के अन्तिम निर्णय का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा।

नोटः– बोलीदाता नीलामी में सम्मिलत होने हेतु अपने साथ मोबाईल नं, वोटर आईडी, पेन कार्ड, व ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रतियां अवश्य लावे।

आयुक्त
मोती डूंगरी जोन
नगर निगम जयपुर

पार्किंग स्थल/स्टेण्ड नीलामी/ठेके की शर्तें

नगर निगम जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत पार्किंग स्टेण्डों को खुली नीलामी द्वारा ठेके पर दिया जावेगा। इस खुली नीलामी/ठेके की शर्तें निम्न प्रकार होगी :–

1. खुली नीलामी में केवल अनुभवी व्यक्ति/फर्म ही भाग ले सकेंगे। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित ठेके की 25000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) अमानता राशि नीलामी स्थल पर नगद जमा कराकर बोली में भाग ले सकेगा।
2. बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अमानता राशि के साथ–साथ बोलीदाता का राशनकार्ड/फोटो पहचान पत्र/आयकर पेनकार्ड की छायाप्रति व दो फोटो (स्वंय का) प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि ठेका अवधि तक निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 ठेका राशि जमा करा देने पर लौटा दी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोले समाप्ति पर लौटा दी जावेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद मौके पर जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता 1/4 राशि मौके पर जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानता राशि जप्त समझी जावेगी तथा गुण अवगुण के आधार पर द्वितीय बोलीदाता की बोली पर विचार किया जावेगा। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने पर उस बोली की 1/4 राशि तुरन्त ही जमा करानी होगी। यह राशि जमा कराने में असफल रहने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता जप्त समझी जावेगी एवं ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
5. बोली वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु लगाई जावेगी।
6. किसी भी बोली को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. ठेकेदार को ठेका राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी। :–
   - वर्ष 2014–15 में 1/4 ठेका राशि मौके पर तथा शेष 3/4 ठेका स्वीकृत (अनुज्ञा पत्र जारी) होने की तिथि से 30 दिन में जमा करानी होगी। 3/4 राशि का अग्रिम चेक जो की निगम के पक्ष में देय हो, मौके पर प्रस्तुत करना होगा।

   निर्धारित अवधि में ठेका राशि जमा नहीं कराने पर 3/4 राशि की वसूली हेतु उक्त राशि का चैक निगमकोष में जमा करा दिया जाएगा। चैक समाशोधन नहीं होने की दशा में ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशिया जप्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

8. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नांकित तालिका के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूल किया जा सकेगा :–

क्रं.सं.	समय	स्कूटर / मोटर साईकिल / मोपेड	साईकिल	कार	बस
1.	प्रथम 3 घंटे	3रू	2रू	10रू	30रू
2.	3 घंटे से 12 घंटे	5रू	3रू	15रू	50रू
3.	12 घंटे से 24 घंटे	10रू	5रू	20रू	100रू
4.	मासिक	150रू	75रू	400रू	1500रू

9. लाईसेंसधारी ठेकेदार वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा कर सकेगा। निर्धारित स्थल के बाहर वाहन खडा करने पर प्रति वाहन 300/– रू की दर से शास्ती लगाई जावेगी।
10. जिस पार्किंग स्थल पर जो वाहन खडा करने का ठेका लिया है उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन खडा करना पाया गया तो 300/– रू प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ती वसूल की जावेगी।
11. प्रत्येक वाहन के दो टोकन होगे। एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा तथा दूसरा टोकन ठेकेदार के पास रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या एवं पार्किंग का समय अंकित करना होगा, जिससे वाहन बदलने की संम्भावना नहीं रहे। स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर रखा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहनधारक को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम जयपुर किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12. ठेकेदार को स्वंय के खर्च पर नगर निगम जयपुर द्वारा अनुमोदित टोकन बुक छपवानी होगी यह टोकन बुक जोन कार्यालय द्वारा प्रमाणित करके ठेकेदार को जारी की जावेगी तथा उनका समस्त रिकार्ड रजिस्टर में जोन कार्यालय द्वारा संधारित किया जावेगा।
13. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामी को वाहन की खरीद आदि के सबूत ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगे। ठेकेदार द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा।
14. ठेका छूटने के 15 दिवस में पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा स्थायी 12 X 8 साईज का बोर्ड निर्धारित प्रोफार्मा स्वंय के खर्चे पर लगाना होगा। इस शर्त की पालना नही करने पर अमानता राशि व 1/4 राशि जप्त कर पुनः ठेका करने की कार्यवाही कर दी जावेगी (आयुक्त राजस्व द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार)
15. ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि निर्धारित दरो के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूल नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली की प्रथम सत्य शिकायत का 5000/– रू द्वितीय सत्य शिकायत पर 10000/– अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा तीसरी सत्य शिकायत पर जमा समस्त राशियां जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16. ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेगे इनकी सूचना मय फोटो ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में ठेकेदार द्वारा जयपुर नगर निगम को उपलब्ध करवाई जावेगी। ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों को ठेका स्थल पर अपने नाम का फोटोयुक्त कार्ड लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर ठेका शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। कार्ड खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा।
17. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा।
18. ठेकेदार पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे ठेकोदार के खर्चे से तुरन्त हटाया जावेगा एवं ठेकोदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
19. ठेका अवधि में नगर निगम जयपुर द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में पार्किंग स्थल खाली करवाया जा सकता है। इमसें ठेकेदार का किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा ठेकेदार को ठेके की शेष रही अवधी की अनुपातिक राशि लौटाई जायेगी।
20. ठेका स्वीकृत के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि का नॉनज्यूडियशियल स्टाम्प पेपर पर ठेके की शर्तो के अनुसार नियमानुसार जोन आयुक्त को अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर दो जमानति के हस्ताक्षर करवाने होगे।
21. यदि निगम को किसी ठेकेदार के कृत्य से किसी भी प्रकार का कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होगा है तो ठेकेदार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
22. किसी भी शर्त का उल्लधंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
23. ठेका शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम् जयपुर को होगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम जयपुर का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
25. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

आयुक्त
मोती डूंगरी जोन
नगर निगम जयपुर